बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
झाँसी

प्रशासकीय परिषद की 42वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	42 वीं
स्थान	:	सभागार, प्रशासनिक भवन बी0 आई0 ई0 टी0 झाँसी।
दिनांक	:	04 फरवरी, 2025
समय	:	अपराह्न : 12.00 बजे

बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी
की
प्रशासकीय परिषद की 42वीं बैठक का कार्यवृत्त

बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी की 42वीं बैठक आज दिनांक 04.02.2025 को अपरान्ह 12.00 बजे माननीय अध्यक्ष, प्रो0 (सेवानिवृत्त) कृपा शंकर, निर्वतमान प्रो0 आई0आई0टी0, कानपुर एवं पूर्व कुलपति डा0 ऐ0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता मे संस्थान के सभागार से आन लाईन/आफ लाईन मोड मे सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने आफ लाईन/आन लाईन प्रतिभाग किया :–

1.	मा0 प्रो0 कृपा शंकर पूर्व कुलपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	....	अध्यक्ष
2.	श्री अन्नावि दिनेश कुमार विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	....	उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, प्रा0शि0)
3.	श्री अनिल कुमार मिश्रा अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन झाँसी मण्डल झाँसी।	....	सदस्य (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन)
4.	प्रो0 जे0 पी0 पाण्डेय कुलपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय जानकीपुरम विस्तार योजना लखनऊ	....	सदस्य
5.	प्रो0 के0 के0 पंत निदेशक, आई0आई0टी0, रूडकी	....	सदस्य
6.	श्री अन्नावि दिनेश कुमार निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर	....	सदस्य

7. प्रो0 प्रताप सिंह .... सदस्य
पूर्व प्राचार्य,
एम0एम0एम0ई0सी0, गोरखपुर
टी–05/402, टावर नं0 5
पार्शनाथ मनोरमा अपार्टमेन्ट
(पी–3 गोल सेक्टर)
गौतमबुद्ध नगर।

8. प्रो0 आर0 एस0 यादव .... सदस्य
प्रोफेसर,
कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी0 विभाग
एम0एन0एन0आई0टी0
प्रयागराज।

9. प्रो0 रघुराज सिंह .... सदस्य
प्रोफेसर,
कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी0 विभाग
एच0बी0टी0यू0,
कानपुर।

10. इं0 अनुराग सचान .... सदस्य
पूर्व महाप्रबंधक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
नई दिल्ली।

11. प्रो0 कुलदीप सहाय .... सदस्य
(प्रोफेसर, ई0ई0, आई0ई0टी0, लखनऊ)
निदेशक
आर0ई0सी0, बस्ती

12. प्रो0 आशीष कुमार सिंह .... सदस्य
प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजी0 विभाग
एम0एन0एन0आई0टी0
प्रयागराज।

13. प्रो0 दीपेन्द्र सिंह .... सदस्य सचिव
निदेशक, बी0आई0ई0टी0,
झाँसी

<u>जो सदस्य उपस्थित न हो सके</u> :–

1. निदेशक, ... सदस्य
आई0आई0टी0,
कानपुर

2. कुलपति .... सदस्य
राजस्थान प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कोटा(राज0)

42.01 **<u>प्रशासकीय परिषद की दिनांक 25 अप्रैल, 2023 को सम्पन्न हुई 41वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।</u>**

परिषद ने विचारोपरान्त प्रशासकीय परिषद की दिनांक 25.04.2023 को सम्पन्न हुई 41 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

42.02 **<u>प्रशासकीय परिषद की दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई 40वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।</u>**

परिषद ने विचारोपरान्त प्रशासकीय परिषद की दिनांक 15.09.2022 को सम्पन्न हुई 40 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

42.03 **<u>प्रशासकीय परिषद की दिनांक 25 अप्रैल, 2023 को सम्पन्न हुई 41वीं बैठक मे लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण से परिषद को अवगत कराना।</u>**

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 25.04.2023 को सम्पन्न हुई 41 वीं बैठक मे लिये गये निर्णयों की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई। बिन्दु–41.02 एवं 41.03 में पदोन्नति लाभ की तिथि निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुति को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद द्वारा डा0 रविन्द्र कुमार, असि0 प्रोफेसर, कैमिकल इंजी0 एवं अरूण कुमार पाण्डेय, एसो0 प्रोफेसर की तिथि निर्धारण के उपरान्त संस्थान द्वारा जारी वेतन वृद्धि/पदोन्नति के कार्यालय आदेश की सूचना से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

42.04 **<u>प्रशासकीय परिषद की दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई 40वीं बैठक मे लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण से परिषद को अवगत कराना।</u>**

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 15.09.2022 को सम्पन्न हुई 40 वीं बैठक मे लिये गये निर्णयों की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई। परिषद द्वारा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

42.05 संस्थान की शैक्षिक प्रगति आख्या से परिषद को अवगत कराना।

परिषद संस्थान की प्रगति आख्या से अवगत हुई।

42.06 संस्थान की प्रशासकीय परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किये जाने से परिषद को अवगत कराया जाना।

माननीय प्रो० (सेवानिवृत्त) कृपा शंकर, निर्वतमान प्रो० आई०आई०टी०, कानपुर एवं पूर्व कुलपति डा० ऐ०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को शासन ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 759599/2024/16-1099/679/2019 दिनांक 03.10.2024 के द्वारा संस्थान की प्रशासकीय परिषद का अध्यक्ष दो वर्ष हेतु नामित किया। तद्‌नुक्रम मे प्रो० (सेवानिवृत्त) कृपा शंकर द्वारा दिनांक 07.10.2024 को अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद, बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उक्त से प्रशासकीय परिषद अवगत हुई एवं प्रो० (सेवानिवृत्त) कृपा शंकर का सभी सदस्यों ने स्वागत किया।

42.07 प्रो० दीपेन्द्र सिंह को संस्थान के निदेशक पद के कार्यदायित्वों के निर्वहन हेतु दिये गये अतिरिक्त प्रभार से परिषद को अवगत कराया जाना।

प्रो० दीपेन्द्र सिंह, निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनपुरी को अपने वर्तमान कार्यदायित्वों के साथ-साथ निदेशक बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी का अतिरिक्त प्रभार संस्थान के निदेशक के पद पर नियमित चयन होने अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो तक के लिए शासकीय कार्यालय-ज्ञाप संख्या 419977/2023/16-1099/661/2019 दिनांक 02.11.2023 के द्वारा प्रदान किया गया। तद्‌नुक्रम मे प्रो० दीपेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 06.11.2023 से संस्थान के निदेशक पद के कार्यदायित्वों के निर्वाहन किये जाने से प्रशासकीय परिषद अवगत हुई एवं प्रो० दीपेन्द्र सिंह का सभी सदस्यों ने स्वागत किया।

42.08 <u>संस्थान की 40वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत।</u>

संस्थान की वित्त समिति की सम्पन्न हुई 40वीं बैठक के कार्यवृत्त से परिषद अवगत हुई।

42.09 <u>संस्थान की प्रशासकीय परिषद हेतु अनुसूचित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नामित सदस्यों से परिषद को अवगत कराना।</u>

परिषद अवगत हुई कि, संस्थान के बायलॉज तथा मेमोरेन्डम आफ एसोशिएशन के नियम 7(XV) एवं 7(XVI) मे प्राविधानित व्यवस्थानुसार अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा अनुसूचित वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को 03 वर्ष के लिये निम्न सदस्यों को नामित किया गया है :-

सोसाइटी नियम	नामित सदस्य	प्रभावी तिथि
7(XV)	प्रो0 कुलदीप सहाय, आई0 ई0 टी0, लखनऊ।	17.11.2024 से 16.11.2027
7(XVI)	प्रो0 आशीष कुमार सिंह, एम0 एन0 एन0 आई0 टी0, इलाहाबाद।	17.11.2024 से 16.11.2027

42.10 <u>प्रो0 विक्रम सिंह को शासकीय स्वीकृति के क्रम में पॉच वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर बाहय सेवा हेतु अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।</u>

परिषद अवगत हुई कि, संस्थान के प्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग के प्रो0 विक्रम सिंह यादव को दिनांक 12.10.2022 से 11.10.2027 तक कुल 05 वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर परीक्षा नियंत्रक, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर, विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ में कार्यालय आदेश संख्या बीआईईटी-135/ स्था0-का0आ0/2023-4951(67) दिनांक 21.11.2023 व सपठित पूर्व कार्यालय आदेश के द्वारा क्रमशः शासनादेश संख्या 16-1099/99/2022 दिनांक 21.09.2022, 06.09.2023 एवं 16.11.2023 के अनुक्रम मे अवमुक्त किया गया है।

42.11 <u>संस्थान की प्रशासकीय परिषद द्वारा परिषद हेतु संस्थान के दो वरिष्ठ प्रोफेसरों को सदस्य नामित किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>

परिषद अवगत हुई कि, संस्थान के सोसायटी रूल्स के बिन्दु संख्या–7(X) में वर्णित "Two Professors to be nominated by the Board for one year by rotation in order of seniority" का प्राविधान है। तद्क्रम में संस्थान के दो निम्न वरिष्ठ प्रोफेसरों को आगामी एक वर्ष की अवधि के लिये सदस्य नामित किये जाने पर परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।

क.सं.	नामित अवधि	परिषद के सदस्य के रूप में नामित संस्थान के दो प्रोफेसर
1.	01 वर्ष हेतु	प्रो0 यशपाल सिंह कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग बी0 आई0 ई0 टी0, झाँसी।
2.		प्रो0 डी0 सी0 ध्रुबकारिया इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग बी0 आई0 ई0 टी0, झाँसी।

42.12 <u>संस्थान की प्रशासकीय परिषद द्वारा परिषद हेतु टेक्नोलाजिस्ट/ इंजीनियर सदस्य नामित किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>

परिषद अवगत हुई कि, संस्थान की सोसायटी रूल्स के बिन्दु संख्या–7(IX) मे वर्णित "One eminent Technologist/Engineer having specialization in the field advent to the Insitute to be nominated by the Board" का प्राविधान है। तद्क्रम में परिषद द्वारा आगामी तीन वर्ष हेतु एक निम्न सदस्य को नामित किया।

क्रम सं.	नमित अवधि	प्रशासकीय परिषद हेतु नामित सदस्य का नाम
1.	03 वर्ष हेतु	डा0 एस0 एन0 सिंह, निदेशक, आई0आई0आई0टी0, ग्वालियर,एवं प्रोफेसर, आई0आई0टी0, कानपुर

42.13 **संस्थान की केन्द्रीय क्रय समिति हेतु प्रशासकीय परिषद द्वारा सदस्य नामित किये जाने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद अवगत हुई कि, संस्थान के बायलॉज के बिन्दु 29(b) मे वर्णित "The senior member of the faculty to be nominated by the Board of Governors" का प्राविधान है। तद्क्रम में परिषद द्वारा निम्न वरिष्ठ संकाय सदस्य को केन्द्रीय क्रय समिति के सदस्य के रूप मे नामित किया।

क.सं.	संस्थान की केन्द्रीय क्रय समिति के सदस्य के रूप में नामित संस्थान के वरिष्ठ संकाय सदस्य
1.	प्रो० एन० पी० यादव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, बी० आई० ई० टी०, झाँसी।

42.14 **संस्थान की भवन निर्माण समिति हेतु सदस्यों को नामित किये जाने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद संस्थान के उपनियम के बिन्दु–28 मे गठित भवन निर्माण समिति के स्वरूप से अवगत हुई।

परिषद द्वारा उक्त समिति के बिन्दु–4, 5 एवं 6 पर निम्न सदस्यों को नामित किया गया।

Point No. 4: One Professor of Structural Engg. In a Sister Engg. Institute

1. Prof. A. K. Sachan, Professor, MNNIT, Prayagraj

Point No. 5: One Senior Engineer

उक्त हेतु परिषद द्वारा झाँसी क्षेत्र में सेवारत पी.डब्लू.डी. विभाग के इंजीनियर्स में से किसी वरिष्ठ इंजीनियर के नामितीकरण हेतु अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को अधिकृत किया गया।

Point No. 6: one Architect

1. Dr. Ankita Singh, Assistant Professor, B.U., Jhansi.

42.15 **संस्थान के विद्यापरिषद हेतु विषय विशेषज्ञों को नामित किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद अवगत हुई कि, संस्थान की एकेडमिक काउंसिल का गठन दिनांक 24.11.2011 को सम्पन्न हुई 21वीं प्रशासकीय परिषद के मद संख्या 21.08 पर हो चुका है। जिसके बिन्दु– डी

मे उपबंधित "Not less than four experts from outside the Institute representing such areas as Industry, Commerce, Law, Education, Medicine, Engineering etc," के प्रावधान के क्रम में निम्न सदस्यों को आगामी दो वर्ष के लिये परिषद द्वारा नामित किया गया।

S. No	Areas	Name of Member	Designation
iv.	Industry	Er. Deepak Kumar Sinha	DRM, NCR Jhansi (UP).

iv.	Commerce, Law, Education	Dr. Pramod Kumar Singhal	Professor, Electronics Engineering Department, MITS Gwalior (MP)
	Medicine	Dr. Anshul Jain	Director, MLB Government Paramedical Training College, Jhansi (UP).
	Engineering	Dr. D. K. Singh	Retd. Professor, MED, MMMUT Gorakhpur (UP)

42.16 **सत्र 2021–22 के कतिपय छात्र–छात्राओं के शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति के आवेदनों को संस्थान स्तर से बिना किसी कारण के निरस्त किये जाने पर गठित जॉच समिति की आख्या पर विचार कर प्रकरण मे दोषी कार्मिकों के विरूद्ध आरोप पत्र पर दिये गये जवाब पर निष्कर्ष हेतु गठित उपसमिति की आख्या परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद द्वारा उपसमिति की आख्या पर सम्यक विचार करते हुए पाया कि, प्रश्नगत प्रकरण लम्बे समय से चलन मे है, कोई प्रतिकूल स्थिति पुनः संज्ञान मे नहीं है। परिषद द्वारा उक्त प्रकरण में कृत कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त सम्बंधित संकाय सदस्यों हेतु जॉच निर्णीत होने के पूर्व निर्गत समस्त अभिलेखो में प्रयुक्त ''दोषी'' शब्द को विलुप्त घोषित किया गया। एतद्वारा सम्बंधित दोनों संकाय सदस्य प्रो0 संजय अग्रवाल एवं डा0 रघुनाथ वर्मा को भविष्य में प्रशासनिक कार्यो में सर्तकता बरतने हेतु पत्र निर्गत करने के साथ प्रचलित जॉच को बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के समाप्त किये जाने का निर्णय दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश किये कि, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ एवं पारदर्शी बनाया जाये जिससे कि, भविष्य मे तद्विषयक जैसे घटना की पुनरावृत्ति न हो।

42.17 **संकाय सदस्य डा0 रघुनाथ वर्मा, एसो0 प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0 विभाग का कैश के अन्तर्गत प्रोफेसर पद पर प्रमोशन का लाभ दिये जाने हेतु दिनांक 15.09.2022 में सम्पन्न हुई 40वीं प्रशासकीय परिषद की बैठक में हुए निर्णय के क्रम में प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।**

परिषद द्वारा 40वीं विशेष प्रशासकीय परिषद के मद संख्या 40.07 के आलोक मे डा0 रघुनाथ वर्मा को दिनांक 30.11.2020 से एजीपी रू0 10000 के साथ प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति का लाभ दिये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गयी।

42.18 **संस्थान संकाय सदस्य डा0 रघुनाथ वर्मा, एसोशिएट प्रोफेसर, कम्प्यूटर सांइस एवं इंजी0 विभाग द्वारा बिना उचित माध्यम के उच्चतर स्तर पर किये गये प्रत्यावेदन पर स्पष्टीकरण माँगने एवं प्राप्त जवाब पर विचार विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत।**

परिषद डा0 रघुनाथ वर्मा एसो0 प्रोफसर द्वारा सीधे उच्च स्तरों पर किये गये पत्राचार के प्रकरण से अवगत हुई। परिषद द्वारा निर्देश दिया गया कि, संस्थान की आचरण नियमावली के बिन्दु–29 पर उपबंधित व्यवस्था का कडाई से पालन कराया जाये। संस्थान के समस्त कार्मिक/संकाय सदस्यों को उक्त व्यवस्था से अवगत कराये जाने हेतु संस्थान स्तर पर एक कार्यालय आदेश भी निर्गत किया जाये।

सीधे पत्राचार करने विषयक डा0 रघुनाथ वर्मा के प्राप्त स्पष्टीकरण के क्रम में डा0 वर्मा के प्रचलित प्रकरण को समाप्त किये जाने की स्वीकृति दी।

42.19 **श्री पप्पन बाबू, प्रधान सहायक द्वारा प्रतिनियुक्ति पर की गयी बाहय सेवाओं पर प्रकल्पित वेतन वृद्धि की अनुमन्यता का प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद द्वारा अवगत होते हुए कि, श्री पप्पन बाबू द्वारा गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय मे सहायक कुलसचिव, ग्रेड–1 के पद पर दिनांक 29.03.2016 से 01.05.2019 तक प्रतिनियुक्ति पर सेवाऐं दी हैं। जो असाधारण अवकाश की शर्तो के अधीन नहीं है। परिषद द्वारा उक्त प्रतिनियुक्ति की सेवाओं के क्रम मे अपेक्षित प्रकल्पित वेतन वृद्धियॉं अनुमन्य किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गयी।

42.20 **वर्ष 2024 मे संस्थान के विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्षों को नामित किये जाने की कार्यवाही परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ।**

संस्थान के उपनियम एवं शासनादेश संख्या 85/2802-सोलह-1-14(112)/1999 दिनांक 15.04.2002 के कम में संस्थान द्वारा वर्ष 2024 में नामित किये विभागाध्यक्षों के प्रस्ताव से अवगत होते हुए परिषद द्वारा अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

42.21 **प्रो0 अभय कुमार वर्मा द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर में निदेशक के पद पर की गयी सेवाओं के कम में प्रकल्पित वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ। प्रस्तुत।**

प्रो0 अभय कुमार वर्मा द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर मे दिनाक 16.01.2015 से 15.01.2018 तक निदेशक के पद पर दी गयीं बाह्य संविदा सेवा पर, शासनादेश संख्या 1824/99-16-1-162/1998 दिनांक 07.05.1999 के अनुक्रम में प्रतिनियुक्ति सेवाओं के अनुरुप अपेक्षित प्रकल्पित वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य किये जाने पर सहमति प्रदान की।

साथ ही प्रो0 वर्मा द्वारा दिनांक 16 एवं 17 जनवरी, 2018 मे उपभोग आकस्मिक अवकाश पर तत्कालीन सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा दी गयी स्वीकृति पर परिषद ने अपनी सहमति प्रदान की।

42.22 **डा0 एकता पाण्डेय एसो0 प्रोफेसर द्वारा की गयी बाह्य सेवाओं पर प्रकल्पित वेतन वृद्धि हेतु की जा रही माँग का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद अवगत हुई कि, डा0 एकता पाण्डेय, एसो0 प्रोफेसर को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (केन्द्रशासित) मे दिनांक 11.07.2017 से 10.07.2019 तक दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर अवमुक्त न करते हुए अवैतनिक असाधारण अवकाश पर सेवा देने हेतु अवमुक्त किया गया था। उक्त बाह्य सेवाओं को प्रतिनियुक्ति की सेवाओं के अनुरूप मानते हुए अपेक्षित परिमार्जन के साथ प्रकल्पित वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य किये जाने पर परिषद द्वारा अपनी सहमति प्रदान की।

42.23 **<u>शिक्षणेत्तर अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु समिति की संस्तुतियॉं परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ।</u>**

संस्थान के शिक्षणेत्तर अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 12.07.2023 में दी गयीं संस्तुतियों एवं शासकीय आदेशों से परिषद अवगत हुई।

क. सं.	अधिकारी का नाम/ पदनाम	नियुक्ति की तिथि एवं वेतनमान/ग्रेड पे0	वर्तमान मे प्रभावी ग्रेड वेतन/ लेबल	प्रस्तावित एसीपी के अन्तर्गत अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन देयता की तिथि के साथ		
				10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोनयन की तिथि/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन	16 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोनयन की तिथि/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन	26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोनयन की तिथि/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन
1	डा0 एस0एस0 राजपूत, सिस्टम मैनेजर (सेवानिवृत्त)	14.07.1993 पुन0 वेतनमान रू0 1000-325-15200	37400-67000 ग्रेड पे0 8700/ लेबल-13 पूर्व में द्वितीय ए0सी0पी0 के कम में अनुमन्य	–	–	<u>14.07.2019</u> 37400-67000 8900/ ले0-13क प्रस्तावित
2 *	डा0 विकम अग्रवाल, चिकित्साधिकारी	01.01.2009 वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे0 रु0 5400	ग्रेड-पे 5400/- ले0-10	<u>01.06.2019</u> 15600-39100 ग्रेड-पे रू0 6600/- ले0-11 प्रथम ए.सी.पी.	–	–
3	श्री अखिलेश कुमार यादव, जू0क0 प्रोग्रामर	08.11.1995 पुन0 वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड-पे रू0 4600/-	3900-34800 ग्रेड-पे रू0 5400/- द्वितीय ए0सी0पी0 के कम में अनुमन्य	–	–	<u>08.11.2021</u> 15600-39100 6600/ ले0-11 प्रस्तावित

परिषद ने उपरोक्त पर अपना अनुमोदन प्रदान किया। परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि, शिक्षणेत्तर अधिकारियों को ए.सी.पी. का लाभ अनुमन्य किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव भविष्य में सीधे अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये जायें।

42.24 **<u>संस्थान के निदेशक पद पर चयन हेतु अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा गठित स्क्रीनिंग एवं चयन समिति परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>**

संस्थान के निदेशक पद पर नियमित चयन हेतु अभातशिप द्वारा गठित चयन समिति के स्वरूप से अवगत होते हुए परिषद द्वारा बिन्दु-4 के कम में निम्न तीन विशेषज्ञों को नामित किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

1. प्रो0 योगेश सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
2. प्रो0 मनीन्द्र अग्रवाल, निदेशक, आई0आई0टी0, कानपुर
3. प्रो0 एस0 के0 काक, पूर्व कुलपति, एम0टी0यू0, नोयडा

42.25 **संस्थान में स्थापित इनोवेशन एवं इक्यूबेशन सेन्टर को संचालित किये जाने हेतु तैयार की गयी नियमावली परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद द्वारा संस्थान में स्थापित इनोवेशन एवं इंक्यूबेशन सेन्टर को संचालित किये जाने विषयक प्रस्तुत नियमावली से अवलोकित होते हुए अपना अनुमोदन प्रदान किया।

42.26 **संस्थान मे चल रहे स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता शैक्षिक सत्र 2025–26 से बढ़ाये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद ने शैक्षिक सत्र 2025–26 से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता बढ़ाये जाने प्रस्ताव से अवलोकित हुई।

S.No.	Course Name	Existing Intake	Increase in Intake
1.	B.Tech. Civil Engineering	45	15
2.	B.Tech. Mechanical Engineering	45	15
3.	B:Tech. Information Technology	40	20
4.	B.Tech. Chemical Engineering	30	30
5.	B.Tech. Computer Science & Engineering	60	-
6.	B.Tech. Electrical Engineering	60	-
7.	B.Tech. Electronics & Communication Engineering	60	-
	Total	340	80

परिषद द्वारा उक्त पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

42.27 **संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंश एण्ड मशीन लर्निंग का नया स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम वर्ष 2025–26 से प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ।**

स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 से आर्टिफीशियल इंटेलीजेंश एण्ड मशीन लर्निंग का नया स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया।

42.28 **स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संस्थान मे संचालित स्नातक स्तरों के पाठ्यक्रमों हेतु अभातशिप के मानकानुसार 36 शैक्षिक पदों के सृजन का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ।**

स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित/ प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आभातशिप के मानकों के अनुसार शैक्षिक पदों के सृजन के प्रस्ताव का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया जिससे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। साथ ही शिक्षकों को पद के सापेक्ष अभातशिप द्वारा निर्धारित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर

मानदेय के साथ संविदा के आधार पर रखे जाने पर परिषद द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी।

42.29 **अभातशिप के मानकों के अनुसार शैक्षिक पदों के सृजन का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद ने संस्थान के नियमित रूप से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक शैक्षिक पदों के सृजन का अभातशिप के मानक के अनुसार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृत प्रदान करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया।

42.30 **प्रो0 शहनाज आयुब द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बंध में प्रस्ताव विचरार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।**

परिषद द्वारा डा0 शहनाज आयुब द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जाँच हेतु तीन सदस्यीय जिसमे वित्तीय विशेषज्ञ, प्रशासनिक अनुभवी एवं महिला सदस्य, स्तर के जिला स्तरीय अधिकारियों को मा0 जिलाधिकारी महोदय से नामित कराते हुए अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद के अनुमोदनोपरान्त एक जाँच समिति का गठन किये जाने का निर्देश दिया गया।

42.31 **संस्थान के संकाय संदस्यों को कैश प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रोफेसर पद का लाभ न मिलने की दशा में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार एवं निर्णय का पस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।**

संकाय सदस्यों द्वारा कैश के लाभार्थ दिये जा रहे प्रत्यावेदनों के क्रम में परिषद द्वारा एक विशेष कैश समिति के माध्यम से पुर्नमूल्यांकन/ साक्षात्कार कार्यवाही अतिशीघ्र कराये जाने हेतु निदेशक को निर्देशित किया। कैश समिति की प्राप्त संस्तुतियॉं आगामी प्रशासकीय परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया।

42.32 **डा0 रविन्द्र कुमार, असि0 प्रोफेसर के कैश के अन्तर्गत प्रोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु दिनांक 15.09.2022 मे सम्पन्न हुई 40वीं प्रशासकीय परिषद की बैठक में हुये निर्णय के क्रम में प्राप्त समिति की संस्तुतियों पर विचारार्थ प्रस्तुत।**

डा0 रविन्द्र कुमार द्वारा कैश के लाभार्थ दिये गये प्रत्यावेदन के क्रम में परिषद द्वारा एक विशेष कैश समिति के माध्यम से पुर्नमूल्यांकन/ साक्षात्कार कार्यवाही अतिशीघ्र कराये जाने हेतु निदेशक को निर्देशित किया। कैश समिति की प्राप्त संस्तुतियॉं आगामी प्रशासकीय परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया।

42.33 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार एवं स्वीकृति।

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त सम्पन्न हुई।

(प्रो0 दीपेन्द्र सिंह)
सदस्य सचिव, प्रशासकीय परिषद
एवं
निदेशक, बीआईईटी, झाँसी।

(श्री अन्नावि ~~दिनेश~~ कुमार)
प्रतिनिधि
उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद
बीआईईटी, झाँसी
एवं
अपर मुख्य सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

(प्रो0 कृपाशंकर)
अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद
बीआईईटी, झाँसी।